कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
प्रथम तल, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)–462004
Tel. (office) 2674212 (Fax) 2674212 2551450, E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमाँक / एफ–भंडार / 1854 / भोपाल, दिनांक 27.04.2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश–भोपाल

विषयः– .32 केलिबर रिवाल्वर एवं उनके कारतूसों का आबंटन ।

---:::---

वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ .32 केलिबर रिवाल्वर 136 नग आर्डिनेंस फैक्ट्री, अम्बरनाथ से एवं इनके उपयोग हेतु 10336 नग .32 केलिबर रिवाल्वर कारतूस आर्डिनेंस फैक्ट्री खड़की पुणे (महाराष्ट्र) से क्रय किये गये हैं जिनका आबंटन वृत्तवार निम्नानुसार किया जाता किया जाता है। उपरोक्त रिवाल्वरों को प्राप्त करने के संबंध में कार्यालयीन ज्ञाप क्रमांक 1776 दिनांक 24.4.2013 से निर्देश आपकी ओर प्रेषित किये जा चुके हैं। मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा चालान से रिवॉल्वर एवं कारतूस संबंधित मुख्य वन संरक्षकों के नाम से भेजे जा रहे हैं।

अ0 क्र0	वृत्त का नाम	आबंटित .32 केलिबर रिवाल्वर की संख्या			आबंटित कारतूसों की संख्या
		प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी की ओर से	संरक्षण कक्ष की ओर से	योग	
1.	बालाघाट	02	05	07	350
2.	बैतूल	01	06	07	350
3.	भोपाल	01	16	17	850
4.	छतरपुर	05	05	10	500
5	छिन्दवाड़ा	03	10	13	650
6	ग्वालियर	00	06	06	300
7	होशंगाबाद	03	05	08	400
8	इन्दौर	00	07	07	350
9	जबलपुर	05	06	11	550
10	खंडवा	00	09	09	450
11	रीवा	00	05	05	250
12	सागर	00	07	07	350
13	शहडोल	04	05	09	450
14	सिवनी	02	05	07	350
15	शिवपुरी	00	07	07	350
16	उज्जैन	00	06	06	300
	योग	**26**	**110**	**136**	**6800**

उपरोक्त आबंटन निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है :–

रिवॉल्वर के चालन, रख–रखाव एवं उपयोग के संबंध में परिक्षेत्राधिकारियों को भोपाल में प्रशिक्षण के दौरान विस्तृत जानकारियां दी गयी हैं। परन्तु प्रशिक्षण की अवधि सीमित होने के कारण परिक्षेत्राधिकारियों को दिये गये प्रशिक्षण को और पुख्ता करने के लिये इन्हें समय–समय पर क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस विभाग के सहयोग से ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता होगी। रिवॉल्वर चालन की ट्रेनिंग के साथ–साथ इन अधिकारियों की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग भी अतिमहत्वपूर्ण है। जिससे इन्हें मानसिक रूप से और मजबूत, कठिन परिस्थितियों में शान्त एवं दृढ़ रहना इत्यादि सिखाया जाना शामिल रहेगा। इस ट्रेनिंग से ये अधिकारी, परिस्थितियों के अनुसार ढलने में एवं नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे तथा आवेश या तैश में आकर शस्त्र चालन की कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके लिये पुलिस विभाग के सहयोग से एक केप्सूल कोर्स तैयार कराया जावे एवं इसके अनुसार इन्हें आगामी ट्रेनिंग दी जावे ताकि इनके आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण को और पुख्ता किया जा सके।

इन परिक्षेत्र अधिकारियों को हथियारों के रख–रखाव, चालन एवं उपयोग के संबंध में समय–समय पर अपने आपको अद्यतन रखना भी जरूरी होगा जिसके लिये स्थानीय पुलिस विभाग का सहयोग एवं मार्गदर्शन भी समय–समय पर लिया जावे।

इसी प्रकार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के पास रिवॉल्वर एवं बंदूकें रहेंगी उनको ऑर्म्स एक्ट, सीआरपीसी तथा आईपीसी का भी सामान्य ज्ञान होना अति–आवश्यक है। यह मुख्य वन संरक्षक एवं वनसंरक्षक/वनमण्डलाधिकारियों का दायित्व होगा कि जिन कर्मचारियों के पास हथियार हैं उनके द्वारा उन हथियारों का रख–रखाव एवं चालन सही प्रकार से किया जा रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखें एवं वनमण्डलाधिकारी साल में दो बार तथा मुख्य वन संरक्षक साल में एक बार शस्त्रागारों एवं शस्त्रों का निरीक्षण आवश्यक रूप से करेंगे।

(1) रिवाल्वर आबंटन एवं स्थानांतरण के संबंध में सामान्य निर्देश

(1) रिवाल्वरों का आबंटन केवल संलग्न सूची में दिये गये संवेदनशील परिक्षेत्र में पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारियों के नाम से किया जाये।

(2) परिक्षेत्र अधिकारी के स्थानांतरण होने अथवा अर्जित अवकाश पर जाने पर उससे रिवाल्वर वन मंडल में जमा करायी जावे तथा नवीन परिक्षेत्र अधिकारी के उपस्थित होने पर उसे रिवाल्वर प्रदाय की जावे। यदि वनक्षेत्रपाल रिवाल्वर चालन के लिये प्रशिक्षित है तो ही उसे रिवॉल्वर दिया जावे अन्यथा उसे स्थानीय जिला पुलिस लाईन से ट्रेनिंग दिलाकर ही रिवॉल्वर प्रदाय की जावे।

(3) परिक्षेत्राधिकारियों को आवंटन से पूर्व रिवाल्वरों को वन मंडल के अन्तर्गत निर्मित किये गये स्ट्रांग रूम (शस्त्रागार) में रखा जावे, अन्यथा जिला पुलिस लाईन के मालखाने (शस्त्रागार) में जमा कराई जावे।

(4) वनमण्डल मुख्यालय में आर्म्स रजिस्टर संधारित किया जावेगा जिसमें आर्म्स एवं कारतूस इत्यादि का विवरण रखा जावेगा तथा परिक्षेत्र कार्यालय में आर्म्स का हिस्ट्रीशीट रजिस्टर तथा आर्म्स रजिस्टर संधारित किया जावेगा। जिनमें आर्म्स, कारतूस एवं आर्म्स चालन की घटनाओं का विवरण रहेगा।

(5) रिवाल्वर आबंटन में किसी भी परिस्थिति में संशोधन न किया जाये। यदि संशोधन की आवश्यकता है तो संरक्षण कक्ष की ओर से किये गये आबंटन में संरक्षण कक्ष से तथा वन्यप्राणी कक्ष की ओर से किये गये आबंटन में वन्यप्राणी कक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही फेरबदल किया जावे ।

(2) परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा रिवाल्वर के उपयोग /चालन के संबंध में सामान्य निर्देश

(1) रिवाल्वर का उपयोग वन/वनसम्पदा एवं वन्यप्रणियों की सुरक्षा कार्यों में किया जावे। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में एवं अंतिम विकल्प के रूप में ही आत्मरक्षा हेतु रिवॉल्वर का चालन वैधानिक रूप से जावे।

(2) जब भी कभी आग्नेय शस्त्र का उपयोग अपराधियों के विरूद्ध किया जाए, तत्काल इसकी सूचना तार, टेलीफोन, वायरलेस अथवा विशेष वाहक से निम्नलिखित संबंधित प्राधिकारियों को दी जावे :–

(1) उप वन मंडलाधिकारी
(2) अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दंडाधिकारी(एसडीएम)
(3) वन मंडल अधिकारी।
(4) पुलिस थाना.

इस सूचना में निम्नलिखित जानकारी का समावेश किया जावे।

(क) कितनी गोलियाँ चली,
(ख) कितने लोग जख्मी/मृत हुए,
(ग) कितनी गोलियाँ हवा में चलाई गई,
(घ) कितने लोग गंभीर रूप से/ सामान्य रूप से घायल हुए ?
(च) कितने लोगों को हिरासत में लिया गया,
(छ) हिरासत में लिये गये लोगों में कितने घायल हैं,
(ज) अपराधी कितने मृत / घायल लोगो को अपने साथ ले गये,

उपरोक्त संदेश प्राप्त होने के पश्चात वन मंडलाधिकारी इस घटना की सूचना द्रुतगत साधन से निम्नलिखित संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।

(1) पुलिस अधीक्षक

(2) जिला दंडाधिकारी
(3) अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दंडाधिकारी (एसडीएम)
(4) मुख्य वन संरक्षक
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
(6) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.

(3) घायल व्यक्ति (अपराधी तथा वन अधिकारी) को तुरन्त अस्पताल भेजा जाना चाहिए ताकि घायलों को तुरन्त इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। घटना स्थल पर मौजूद उच्चतम वन अधिकारी को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित रूप में उन परिस्थितियों को इंगित करते हुए सूचना भेजेंगे जिनके कारण गोली चालन अपरिहार्य हो गया था तथा साथ ही घायल, मृत व्यक्ति की सूची भी भेजेंगे ।

(4) वन अधिकारी उस क्षेत्र व स्थल को पुलिस आने तक यथावत बनाये रखेंगे और जिस क्षेत्र में गोली चलने की घटना हुई हो उसका तथा अपराध स्थल का यथासंभव फोटोग्राफ लेने की व्यवस्था करेंगे।

(5) गोलीबारी में प्रयोग में लाये गये हथियारों व कारतूस तथा खाली खोखे आदि का लेखा जोखा रखा जावेगा तथा गोलीबारी में प्रयोग में लाये गये आग्नेय शस्त्र सुरक्षित रखे जाने चाहिए।

(3) हथियारों की सुरक्षा, रख–रखाव एवं उपयोग के संबंध में सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैं :–

(1) म.प्र. शासन द्वारा वन विभाग द्वारा वन अधिकारियों को आत्मरक्षार्थ शस्त्र प्रदाय किये गये हैं। अतः इन रिवॉल्वर्स का उपयोग अत्यंत सावधानी एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना है। जिस अधिकारी के पास यह रिवॉल्वर रहेगा उसको अत्यंत ठंडे दिमाग एवं अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। किसी भी स्थिति में आवेश या तैश में आकर शस्त्र चालन की कार्यवाही नहीं की जावे।

(2) सामान्य तौर पर रिवॉल्वर एवं अन्य शस्त्रों को वन गश्ती के दौरान या छापामार कार्यवाही के दौरान ही साथ ले जाना चाहिये। जब कभी भी रिवॉल्वर के साथ वनगश्ती एवं छापामार कार्यवाही के दौरान जाना होता है तब गश्ती दल में परिक्षेत्र अधिकारी के अलावा कम से कम 4 कर्मी (वनपाल, वनरक्षक) होने चाहिये।

(3) यदि किसी प्रकरण की जांच के दौरान किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होने की आशंका हो तो स्थानीय पुलिस/ अथवा विशेष सशस्त्र बल पुलिस को साथ रखा जाए।

(4) वन अपराधों में लिप्त वन अपराधी स्थल पर नहीं पकड़े जा सकें और बाद में उन्हें गिरफ्तार करने में कठिनाई अथवा खतरे की आंशंका हो तो पुलिस की सहायता ली जावे ।

(5) वन अपराधियों से सामना होंने पर एवं वन अपराधियों के आक्रामक होने पर उनको आत्मसमर्पण कराने का प्रयास किया जावे किन्तु यदि वन अपराधी हमले की मुद्रा में हो तो दल प्रभारी द्वारा अपराधियों को ऊंची आवाज में स्पष्ट चेतावनी दी जावे कि वन अपराधी आत्मसमर्पण करें अन्यथा गश्ती दल को गोली चलाने को मजबूर होना पड़ेगा।

(6) जहां तक संभव हो आग्नेय शस्त्र का प्रयोग कम से कम होना चाहिए और यदि अतिरिक्त बल प्राप्त करने का समय हो तो पहले इसे प्राप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए, दूसरे शब्दों में आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग तब तक बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए तक अत्यंत आवश्यकता न हो और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं रह जाये ।

(7) आग्नेय शस्त्र एवं कारतूसों को परिक्षेत्र मुख्यालय के नजदीकी थाने / परिक्षेत्र कार्यालय में निर्मित / वन चौकी में निर्मित स्ट्राँग रूम (शस्त्रागार) में ही रखा जाना चाहिए । गोली आदि एक बक्से में ताले में रखे जावे ।

(8) स्टॉक में उपलब्ध रिवाल्वर/बन्दूकों का वन विभाग/पुलिस विभाग के आरमोरर से निरीक्षण कराते रहना चाहिए तथा उपयोगी एवं अनुपयोगी शस्त्रों की जानकारी एक माह के अन्दर मुख्यालय में भेजी जावे। कारतूस भी चैक कर ली जावें कि अभी उपयोगी हैं अथवा नहीं, यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष माह अप्रैल माह में अपनाई जावे ।

(9) गश्त के समय रिवाल्वर लोडेड नहीं रखना चहिए क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है । कारतूस अलग से रखे जाने चाहिए। जहां पर अपराधियों का आक्रामण या मुठभेड होंने की आशंका हो वहां पर लोडेड रिवॉल्वर रखा जा सकता है परन्तु उस समय भी सेफ्टी कैच लगा रहना चाहिए।

(10) पूरे हथियार व कारतूस आदि का पूर्ण विवरण संबंधित वन मंडल अधिकारी तथा परिक्षेत्र कार्यालय में लेखबद्ध होना चाहिए। इसके लिये पृथक से एक आर्म्स एन्ड एम्युनिशेन का रजिस्टर खोला जाना चाहिए जिसका प्रपत्र संलग्न है।

(11) रिवाल्वर परिक्षेत्र अधिकारी के नाम से ही ईश्यू होना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति प्रदाय रजिस्टर (संलग्न प्रपत्र) में संबंधित अधिकारी से ली जाना चाहिए।

(12) सारे हथियारों का समय–समय पर ठीक प्रकार से आयलिंग तथा क्लीनिंग होनी चाहिए।

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

51

6/13

(13) समस्त अधिकारियों को आर्म्स का प्रयोग करने के लिये प्रशिक्षित किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक या दो बार होना चाहिए जिसमें पुलिस विभाग, अर्ध सैनिक बलों से सहयोग प्राप्त किया जावे ।

हथियारों एवं कारतूसों के, उपयोग, चालन एवं रख–रखाव के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्र./एफ–12/10–10/1212/1992 दिनांक 24.4.2012 को विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं। इन निर्देशों के साथ पूर्व में जारी महत्वपूर्ण आदेशों/ निर्देशों की छायाप्रति भी संलग्न कर भेजी गयी है। कृपया इन पूर्व में जारी निर्देशों के साथ–साथ वर्तमान में जारी किये जा रहे निर्देशों का भी पालन किया जावे एवं जहां कहीं कोई शंका हो या जारी निर्देशों में कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो तत्काल इस कार्यालय से समाधान करवाया जावे।

TRS 27/4/13

(टी.आर. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश–भेपाल

पृ0क्रं0/कक्ष–15/ 1855 भोपाल दिनांक /27/04/13

प्रतिलिपिः–(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
(2) प्रबंध संचालक वन विकास निगम पंचानन, म.प्र. भोपाल

27/4/13

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश–भोपाल